न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 78 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 30.09.2019

सरकार जरिये जिला कलेक्टर (जि.रा.ले) टोंक

............प्रार्थी

बनाम

मै0 धर्मचन्द कुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–4 पी.डी.आर.एक्ट 1952

उपस्थिति : (1) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक** 01.08.2024

प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि मै0 धर्मचन्द कुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक द्वारा बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी.एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्व अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर जिला कलेक्टर (जि.रा.ले.) टोंक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण प्रस्तुत होने पद दर्ज रजिस्टर किया गया एंव वास्ते सुनवाई अप्रार्थी (बाकीदार) को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी व अप्रार्थी (बाकीदार) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई।

विद्वान पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मै0 धर्मचन्द कुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक द्वारा बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी. एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्व अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पी.डी.आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग

जिला कलेक्टर
टोंक

पत्र जिला कलेक्टर टोंक को भिजवाया गया है। अप्रार्थी (बाकीदार) जिला टोक में निवासरत होने से उसके विरूद्ध पी डी आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियों की गणना कर राशि 1989899 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी (जि.रा.ले) शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा सम्पादित की जानी है। अतः उक्त राशि अप्रार्थी (बकायादार) से वसूल किया जाना न्यायोचित है।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जिला कलेक्टर (जि.रा.ले) टोंक द्वारा बीसलपुर परियोजना के पक्के खालो का निर्माण कार्य चक नं.2 डी.एच.डी. एंव 4 पी.एल.एम.डारडाहिन्द डिस्ट्रीब्यूटरी कार्य के विरूद्ध अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत क्षतिपूर्ति राशि 1989899 रूपये पीडी आर.एक्ट 1952 की धारा–4 में वसूल करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन नहर खण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना टोंक द्वारा मांग पत्र भिजवाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया है।

पेरोकार सरकार का कथन है कि अप्रार्थी (बकायादार) जिला टोंक में निवासरत होने से उसके विरूद्ध पी डी आर एक्ट के तहत उसकी परिसम्पत्तियो की गणना कर राशि 1989899 रूपये की कुर्की वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। अप्रार्थी (बकायादार)को पहले ही काफी समय बकाया राशि जमा करवाने हेतु दिया जा चुका है। अब समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण को हम न्याय के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः पब्लिक डिमाण्ड एण्ड रिकवरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत बाकीदार मै0 धर्मचन्दकुमावत पुत्र बदरी निवासी ग्राम व पोस्ट रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0 से 1989899 रूपये की राशि वसूली करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक